राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1) आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2018/ 10505-20 जयपुर,दिनांक 4 .7.2018

जिला कलक्टर,
बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर चूरू, डूंगरपुर,
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, जालोर, पाली,
सिरोही, सवाई माधोपुर, राजस्थान।

विषयः—खरीफ फसल 2017 (सम्वत् 2074) बाढ़/सूखा में 2 हैक्टयर अधिक (OSMF) भूमि धारिता वाले पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खरीफ फसल 2017 (सम्वत् 2074) में बाढ़/सूखा से 33 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत खराबा वाले दो हैक्टयर से अधिक भूमि धारिता वाले अन्य (OSMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अतः विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 3863—96 दिनांक 20.3.2018 एवं 7905—17 दिनांक 8.5.2018 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त श्रेणी के प्रभावित काश्तकारों को आप द्वारा विभाग को गिरदावरी रिपोर्ट 7डी के साथ प्रपत्र 1,2,3,4,5 में प्रेषित संख्या के अनुसार पात्र काश्तकारों को केवल ट्रेजरी के पै—मेनेजर के माध्यम से सीधे प्रभावितों के बैंक खातों में ही भुगतान किया जावे। भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता का वितरण कराने हेतु प्रभावित काश्तकारों की निर्धारित प्रारूप में सूची के साथ ऑन लाईन बजट मांग दिनांक 16.7.2018 तक भिजवाने का श्रम करावे।

भवदीय

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner